Serial No. 1044

Deed No. 19

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय, गया

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **19/01/2013** को **Birendra Kumar (Dr)** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रू0 **1100** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **2520** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **19** के रूप में पुस्तक सं0 **4** की जिल्द सं0 **1** के पृष्ठ सं0 **205** से **213** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **9** पृष्ठों में संधारित किया गया

बिहार सरकार

दिनांक– **19/01/2013**

SCORE 2.0 टोकन नं. 1083 / 2013

(सुकुमार झा)
19.1.2013
सुकुमार झा
निबंधन पदाधिकारी

Trust fund 50000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

C 691374

पवन कुमार सिन्हा

न्यास विलेख

सार्वजानिक धातव्य न्यास का यह विलेख आज दिनांक– 19.01.2013 को निम्नलिखित न्यासियों के द्वारा निष्पादित किया गया।

यह न्यास विलेख के निष्पादन हेतु कूल पाँच सदस्य न्यास मंडल का गठन कर संयूक्त रुप से न्यास विलेख को निषादित करेगें

1. डा0 विरेन्द्र कुमार उम्र 53 वर्ष पिता– स्व. जयराम शर्मा, सम्प्रति– सहायक प्रोफेसर (रसायन विभाग गया कॉलेज गया), (M.U) वर्तमान पता– वैशाली कम्पलेक्स रोड न0–4/बी चाणक्यपूरी कॉलोनी गया (बिहार)। ड्रायविंग लाईसेन्स न0– BR0220060016850

District Registry Office, Gaya

Token Number 1083 | Reg. Year 2013 | Serial Number 1044 | Deed Number

PresType	Name	Photo / Thumb / Index / Middle / Ring / Little
Trustee	Birendra Kumar (Dr) Sig. Birendra Kumar 19/01/13	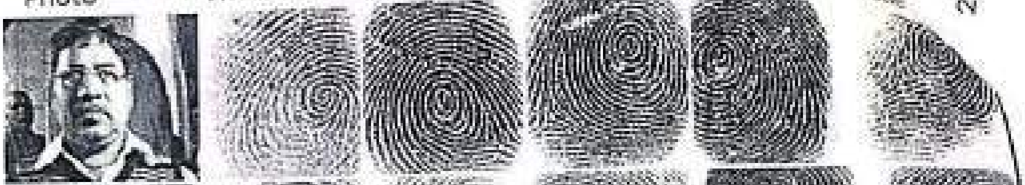
Trustee	Dinesh Kumar Sig. Dinesh Kumar 19.01.13	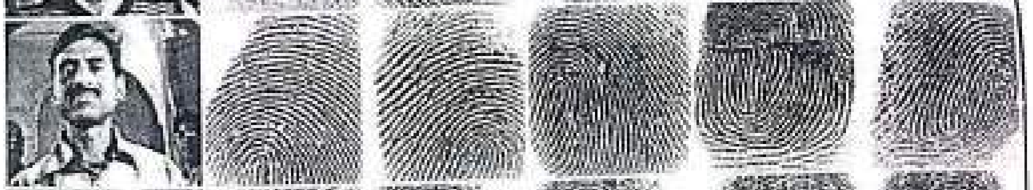
Trustee	Dipak Kumar Sig. दिपक कुमार 19-01-13	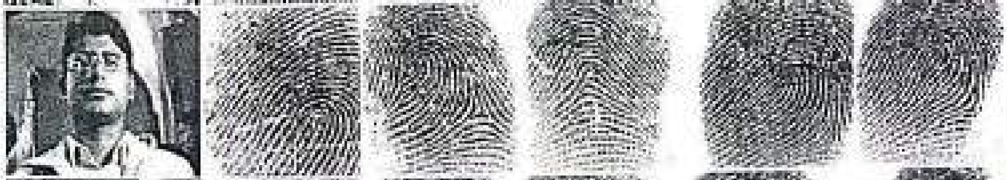
Trustee	Usha Devi Sig. उषा देवी 19-1-13	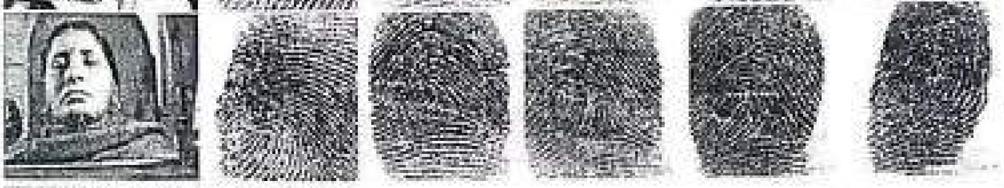
Identified By	Krishna Kant Narayan Singh Sig. कृष्ण कान्त नारायण सिंह पिता-स्व. शिवनारायण सिंह 19/01/13	
Trustee	Binay Kumar Sharma Sig. Binay Kumar Sharma 19/01/13	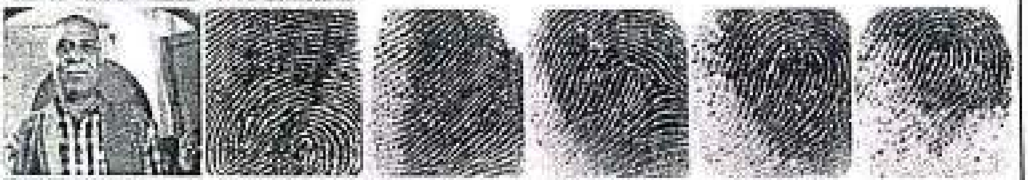
Presented By	Birendra Kumar (Dr) Sig. Birendra Kumar 19/01/13.	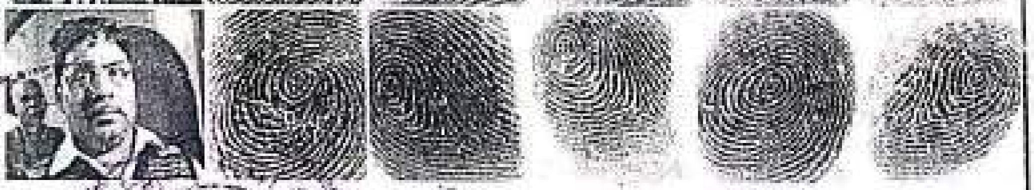

Birendra Kumar 19/01/13

19.1.2013

2: दीपक कुमार उम्र 27 वर्ष पिता- डा० विरेन्द्र कुमार (एम०बी०ए०) पी०एच०डी० के लिए निबंधित (मगध विश्वविधालय) बोधगया पता- वैशाली कम्पलेक्स रोड नं०- 4 बी० चाणक्यपूरी कॉलोनी, गया (बिहार)।

3. श्रीमति उषा देवी उम्र 51 वर्ष जौजे डा० विरेन्द्र कुमार वैशाली कम्पलेक्स रोड नं०- 4बी, चाणक्यापुरी कॉलोनी, गया।

4. श्री विनय कुमार शर्मा उम्र 58 वर्ष पिता- स्व० गया प्रसाद सिंह (पूर्व सदस्य निर्देषक समुह मध्य बिहार ग्रामीण बैंक) ग्राम+पो०- पेमा, थाना-गोह, जिला- औरंगाबाद (बिहार)।

5. श्री दिनेश कुमार उम्र 38 वर्ष पिता- स्व० बली शर्मा ग्रा+पो०- दादर, थाना-गोह, जिला- औरंगबाद (बिहार)।

यह न्यास विलेख निष्पादन के पीछे सभी न्यासियों ने भारत तथा खाश कर बिहार में साक्षरता तथा कुशाग्र दिमाग वाले- छात्र छात्राओं की पलायनता दूसरे राज्यों में होने से रोकने का एक मात्र उदेश्य है।

जबकि बिहार प्राचीन काल से शिक्षा के क्षेत्र में गौरव शाली रहा है, यही कारण है कि भगवान बुद्ध, भगवान बिष्णु तथा भगवान राम ने भी इस पावन बिहार की धरती को नमन किये, इतना ही नहीं महाज्ञानी, महाशक्तिशाली रावण ने भी बिहार की धरती का नमन किया और बनावर पहाड़ पर अवस्थित भगवान शिव की अराधना करने आया था जैसा कि इतिहास बताता है। उक्त तथ्यों तथा परीस्थितियों के आलोक में न्यासीमंडल ने अपना-अपना विचार मंथन के उपरान्त एकमत्र निर्णय लिया, तथा न्यास बोर्ड का गठन करते हुए न्यास का नामांकरण "श्री जद्धराम शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट" रखा है।

इस न्यास विलेख के निष्पादन के उपरन्त यह ''श्री जयराम शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट'' का एकमात्र उदेश्य बिहार एवं सम्पूर्ण भारत में साक्षरता को बढ़ावा देना तथा प्रतिभाशाली विधार्थियों को उचित मार्गदर्शन कराते हुए बिहार राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन को रोकना।

न्याय बोर्ड की गठन तथा न्यास बोर्ड की संचालन की प्रक्रियाः—

1. न्यास बोर्ड की सफल संचालन के लिए तथा उचित मार्गदर्शन के लिए अवैतनिक अध्यक्ष होगें जो न्यास मंडल के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर चुने जायेगें तथा परिस्थिति प्रतिकुल होने की स्थिति में न्यास मंडल आकस्मिक बैठक कर बहुमत के आधार पर पदमुक्त भी कर सकते है। साथ ही अध्यक्ष को न्यास मंडल की बैठक में सम्मिलित होने के लिए विशेष टी०ए० एवं अन्य भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा, जो समयानुकुल होगा तथा न्यास मंडल जो उचित समझेगा।

2. न्यास बोर्ड की सफल संचालन के लिए एक स्थायी कार्यालय होगा, तथा कार्यालय के सफल संचालन के लिए न्यास मंडल द्वारा सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर 'सचिव' का चुनाव करेगा। तथा सचिव के देख रेख में न्यास बोर्ड में पदनियूक्त जो भी कर्मचारी होगें उनके कार्य– दायित्वों का देखभाल करने तथा किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर सचिव आपात बैठक कर कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों को पदमुक्त कर सकता है।

3. साथ ही सचिव को इस न्यास के कार्यो के संचालन तथा अन्य कार्यो के लिए वेतन तथा भत्ता का निर्धारण न्यास मंडल की बैठक में पारित किया जायेगा

तथा समय-समय पर मानदेय तथा अन्य भत्ताओं में यथायोग्य वृद्धि या धटाव न्यास मंडल की सहमति से किया जायेगा।

4. यह कि न्यास मंडल के सचिव अपने कार्यों के सफल संचालन तथा न्यास बोर्ड के विकाश एवं योग्य प्रस्ताव का प्रारुप लायेगें तथा न्यास बोर्ड उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार करेगें, या जरुरत होने पर प्रारुप में संशोधन भी किया जा सकेगा।

5. यह कि न्यास बोर्ड अपने आय व्यय को पारदर्शक व्योरा रखने के लिए एक रजिस्टर रखेगें तथा उक्त रजिस्टर सचिव के देख रेख में रहेगा तथा सभी पृष्टों की संख्या अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा। तथा न्यास बोर्ड के सदस्यगण जब भी चाहेगें बैठक के समय रजिस्टर का अवलोकन कर सकें। तथा प्रत्येक तीन माह पर आय-व्यय कर व्योरा न्यास बोर्ड की बैठक के समक्ष रख कर अनुमोदन सचिव के द्वारा करवाया जायेगा।

6. यह कि न्यास बोर्ड अपने न्यास की कुशल संचालन के लिए आय के उपार्जन करेगी तथा न्यास बोर्ड के संचालन एवं न्यास बोर्ड के संचालित कार्यों से आय के स्त्रोंतो का मापदण्ड करेगा जिसपर अध्यक्ष का अनुमोदन निर्णायक होगा।

7. यह कि न्यास बोर्ड अपने संकल्प के अनुसार वे सभी कार्यो को कार्य रूप देने में सक्षम होगा जिससे समाज, राज्य, देश के विकाश अभीभूत होगा तथा कानून द्वारा मान्य होगा।

8. यह कि न्यास बोर्ड के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कानूनी, विवाद या अन्य कार्य होगा, उसका निर्णय गया स्थित न्यास बोर्ड की कार्यालय में होगा,

तथा यदि न्यायालीय सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका क्षेत्राधिकार मात्र गया स्थित न्यायालय होगा।

9. यह कि न्यास बोर्ड के न्यासी यदि अपने स्वेच्छा से हटना चाहेगें तो अपना त्याग पत्र सचिव के समक्ष लिखित रुप में देगें, जिससे सचिव न्यास बोर्ड की तत्काल बैठक बुलाकर अनुमोदन करवा लेगें, साथ ही यदि न्यास बोर्ड के कोई भी सदस्य का अपरिहार्य कारण वश मृत्यु हो जाता है, वैसी स्थिति में न्यासी के सक्षम उत्तराधिकारी को न्यास बोर्ड चांहे तो न्यास बोर्ड के न्यासी के रुप में सदस्य स्वीकार कर सकेगा।

10. यह कि न्यास बोर्ड यदि आवश्यक समझे तो न्यास बोर्ड की बैठक बुलाकर न्यास बोर्ड के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी या कटौती प्रस्ताव ला सकता है, इस प्रस्ताव को सचिव न्यास बोर्ड को प्रस्तुत करेगें। तथा न्यास बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त अध यक्ष के हस्ताक्षर के उपरान्त पारित समझा जाऐगा।

11. यह कि न्यास बोर्ड का वित्तिय प्रभार सचिव के हाथ में होगा। जिसके लिए बैंक खाता का संचालन सचिव करेगें। लेकिन न्यास बार्ड के सदस्यों को यदि ऐसा महशुश हो की सचिव द्वारा न्यास बोर्ड के वित्तिय दुरुपयोग किया जा रहा है तो न्यास बोर्ड के बहुसंख्य न्यासी तत्काल अध्यक्ष के माध्यम से वित्तिय संचालन के कार्यो का लिखित रुप में बैंक प्रबन्धक को देकर बंद कर सकते हैं तथा बंद वित्तिय अधिकार को पूनजीवींत अध्यक्ष के आदेश से हीं कर सकते हैं।

12. यह कि वर्तमान में न्यास बोर्ड के संचालन के लिए न्यासीय तथा कूल 50 हजार रुपये एकत्रीत कर संचालित कर रहें है।

13. यह कि न्यास बोर्ड अपने कार्यो क्षेत्रों का विस्तार न्यास बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाकर अन्यत्र क्षेत्रों में भी कर सकता है।

14. यह कि इस न्यास विलेख के प्रारुप का निबन्धन कार्यालय गया में प्रस्तुत कर निबंधित करवाया जायेगा, और निबन्धन की तिथि से यह न्यास बोर्ड "श्री जयराम शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट " के नाम से जाना जायेगा। तथा यह "श्री जयराम शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट" के बैनर के अन्तर्गत प्रचार किया जायेगा।

Birendra Kumar 19/01/13
दिपक कुमार 19/01/2013
उषा देवी 19/1/13
Umesh Kumar 19.01.13
Binay Kumar Sharma 19/01/13

प्रा० शर्मा विनोद शर्मा
दस्तावेज लेखक लो० नं० 989/02

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the ... Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	1100/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	2620/-

Registration Fee (FEE PAID)

A1	2295	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Ne	45
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	2340

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 180

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 2520

Date: 19/01/2013

Registering Officer
Gaya

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Gaya Sadar on Saturday, 19th January 2013 by Birendra Kumar (Dr) Late Jairam Sharma by profession Service. Status - Trustee

Birendra Kumar 19/01/13
Signature/L.T.I. of Presentant **Date:19/01/2013**

Registering Officer
Gaya Sadar

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Krishna Kant Narayan Singh' age '52' Sex 'M', 'Late Shiv Narayan Singh', resident of 'Vill-Arai, Ps-Konch, Gaya'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Gaya

Date : 19/01/2013

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Gaya Sadar in Book 4 Volume No. 1 on pages on 205 -213 , for the year 2013 and stored in CD volume No. CD-1 Year 2013 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Gaya

Date : 19/01/2013

Token No. : 1083 Year : 2013 S.No. : 1044 SCORE Ver.3.0 Deed No . :

Scanned by Mukesh

आज दिनांक 20/जनवरी 2013 को श्री जयराम शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट (डीड संख्या-19,क्रम सं0-1044 बुक संख्या-4) के न्यासियों द्वारा आम सहमती से डा0 वीरेन्द्र कुमार पिता -स्व0 जयराम शर्मा प्रथम न्यासी को अध्यक्ष एवं श्री दीपक कुमार पिता डा0वीरेन्द्र कुमार दूसरे न्यासि को सचिव नियुक्त किया गया ।

न्यासियों का नाम	न्यासियों का हस्ताक्षर
1 Deepak Kumar	Deepak Kr.
2) Birendra Kumar	B Kumar
3) Binay Kumar Sharma	Binay Kumar Sharma
4) Dinesh Kumar	Dinesh Kumar
5) Usha Devi	उषा देवी

Computer-2/General 737

आज दिनांक 20/जनवरी 2013 को श्री जयराम शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट (डीड संख्या– 19,क्रम सं०–1044 बुक संख्या–4) के न्यासियों द्वारा आम सहमती से डा० वीरेन्द्र कुमार पिता –स्व० जयराम शर्मा प्रथम न्यासी को अध्यक्ष एवं श्री दीपक कुमार पिता डा०वीरेन्द्र कुमार दूसरे न्यासि को सचिव नियुक्त किया गया ।

न्यासियों का नाम	न्यासियों का हस्ताक्षर
1 Deepak Kumar	Deepak Kr.
2) Birendra Kumar	[signature]
3) Binay Kumar Sharma	Binay Kumar Sharma
4) Dinesh Kumar	Dinesh Kumar
5) Usha Devi	उषा देवी